

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत विकलांग
कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र

- 1 नाम कर्मचारी मय पद
- 2 पिता का नाम
- 3 कार्यरत स्थान
विभाग / कार्यालय / विधालय
- 4 जन्मतिथि
- 5 नियुक्ति तिथि
- 6 धारित पद स्थायी / अस्थायी
- 7 वेतन श्रृंखला एवं वेतन
- 8 स्थायी पता
- 9 विकलांग होने का विवरण
"अ" कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है
- "ब" विकलांगता का विवरण
- 10 प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है एवं अन्य किसी स्रोत से विकलांगता / वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम

पद

कार्यरत स्थान

- 11 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक की अभिशंषा

हस्ताक्षर

मय दिनांक एवं सील